झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

आपराधिक विविध याचिका. सं. 1459 वर्ष 2019

सच्चिदानंद शर्मा . **.....याचिकाकर्ता**

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. मुकेश कुमार **---- उत्तरदाता**

कोरम : मा. श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार द्वेदी

याचिकाकर्ता के लिए : श्री विनोद कुमार झा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री शैलेश कुमार सिन्हा, अ. लो. अभि.

विरोधी पक्षकार 2 के लिए: श्री बिधान चन्द्र डे, अधिवक्ता

10/09.02.2024 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार झा, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेष कुमार सिन्हा तथा विरोधी पक्षकार सं.2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विधान चन्द्र डे को सुना।

2. इस याचिका को विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, । वर्ग, बोकारो के न्यायालय में लंबित संज्ञान लेने के आदेश दिनांक 15-03-2018 सहित परिवाद मामला सं. 106 वर्ष 2017 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के लिए दाखिल किया गया है।

3. परिवाद मामला इसमें यह अभिकथन करते हुए दाखिल किया गया था कि विरोधी पक्षकार सं. 2 तथा याचिकाकर्ता, दोनो एक ही शिवपुरी कालोनी, चस, बोकारो के निवासी है तथा याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकार सं. 2 से मौजा 30, खाता सं. 724, भूखण्ड सं. 3482 में स्थित भू सम्पत्ति क्रय करने का अनुरोध किया था तथा विरोधी पक्षकार सं. 2 के समक्ष निवेदन किया था कि वह स्वामी है तथा पूर्वोक्त भूमि पर काबिज है एवं भूमि सभी मुकदमा तथा विल्लंगमो से मुक्त है। विरोधी पक्षकार सं.2 सदभाव में याचिकाकर्ता के कथन पर विश्वास करते हुए पूर्वोक्त भूमि का 10 डेसीमल क्रय करने के लिए सहमत हुआ था तथा 16-09-2014 को समझौता निष्पादित किया गया था। जिसमें यह सहमित बनी थी कि भूमि को रु 1,31,000/- प्रतिडेसीमल की दर पर क्रय किया जायेगा तथा इसे रू 2,00,000/ - की धनराशि अग्रिम दिया था तथा इस संबंध में, एक समझौता भी निष्पादित किया गया था। आगे यह अभिकथित किया गया था कि 20-01-2015 को विरोधी पक्षकार सं. 2 ने आगे रू 2 लाख दिया था तथा 16-02-2015 को आगे रू 4 लाख की धनराशि संदत्त की गई थी तथा याचिकाकर्ता द्वारा अभिस्वीकार किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया है कि 30-3-2015 को विरोधीपक्षकार सं.2 द्वारा रू 10,65,000/- की कुल धनराशि संदत्त की गई थी तथा याचिकाकर्ता ने भू-स्वामी अर्थात पलटू महतो, मुख्यतः सुशीलादेवी, बिन्देश्वर महतो तथा नीलकमल महतो द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करवाया था जब विरोधी पक्षकार 2 विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा लेने के लिए भूमि पर गया था, संतोष महतो तथा इसके सहयोगीयो ने इसके भूमि का भौतिक कब्जा लेने की अनुमति नही दिया था तथा इसे बताया था कि संतोष महतो तथा नीलकमल महतो के बीच अधिकार, हक, हित तथा कब्जा लेने के घोषणा हेतु उक्त भूमि के संबंध में हक वाद सं.93 वर्ष 2014 लंबित है। पूर्वोक्त तथ्यो के आधार पर,

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406,420,467,468 तथा 471 के अधीन याचिकाकर्ता के विरूद्ध वर्तमान परिवाद मामला दाखिल किया गया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता परिवादी-विरोधी पक्षकार सं.2 द्वारा क्रय किये गये अभिकथित भूमि का न तो भू-स्वामी है न ही मुख्तारनामा धारक है तथा वह मात्र पेश कर्ता है। इन्होने आगे निवेदन किया है कि प्रश्नगत भूमि को पहले ही विरोधी पक्षकार सं.2 के पक्ष में पंजीकृत किया गया था तथा नामांतरण पहले ही विरोधी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में किया गया था तथा तत्पश्चात, विरोधी पक्षकार सं.2 के पक्ष में किराया रशीद भी जारी किया गया है। इन्होने यह भी निवेदन किया है कि किसी कूटरचना को करने का कोई अभिकथन नही है न ही याचिकाकर्ता के विरूद्ध छल करने का कोई अभिकथन है क्योकि इस बात का कोई अभिकथन नही है कि समझौता करने के समय पर याचिकाकर्ता द्वारा परिवादी की प्रवंचना करने का कोई आशय था। इन्होने आगे निवेदन किया है कि सम्पत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के अभाव में, याचिकाकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन दण्डनीय अपराध नही बनता है। इन्होने निवेदन किया है कि समान स्थित, में एक दूसरे परिवाद मामले में याचिकाकर्ता के मामले को आपराधिक विविध याचिका 1580 वर्ष 2019 में इस न्यायालय के समन्वय पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 22-08-2023 द्वारा अभिखंडित किया गया था।

5. विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध छल करने का प्रत्यक्ष तथा विनिर्दिष्ट अभिकथन है तथा इस बात से दृष्टिगत रखते हुए विद्वान न्यायालय ने ठीक ही संज्ञान लिया है। इस आधार पर, इन्होने निवेदन किया है कि इस याचिका को कृपा करके खारिज किया जा सकता है।

6. पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये निवेदनो को सुनने के बाद, न्यायालय पाता है कि एक दूसरे व्यक्ति द्वारा भूमि के बेचे जाने के बारे में अभिकथनो को किया गया है। याचिकाकर्ता मात्र पेशकर्ता है भूमि को पहले ही पंजीकृत किया गया था, नामांतरण भी किया गया था तथा विरोधी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में किराया रशीद भी जारी किया गया है। इस पृष्ठ भूमि में, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अधीन दण्डनीय छल का अपराध गठित करने के लिए, आवश्यक संघटक यह है कि अभियुक्त द्वारा बिल्कुल आरंभ से पीड़ित के साथ छल करने का आशय होना चाहिए था जैसा ***(2009) 14 एससीसी 696 में संप्रकाशित दलीप कौर तथा अन्य बनाम जगवर सिंह तथा एक अन्य*** के मामले में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका पैरा 10 निम्नवत पठित है:

> ***"10*** *इसलिए, उच्च न्यायालय को इस प्रश्न की चर्चा चलाना चाहिए था कि क्या अपीलार्थी की ओर से उत्प्रेरणा का कोई कार्य दूसरे प्रत्यर्थी द्वारा उठाया गया है तथा क्या अपीलार्थी का बिल्कुल आरंभ से इसके साथ छल करने का आशय था। यदि पक्षकारो के बीच विवाद अग्रिम धनराशि को वापस न करने से अपीलार्थीगण की ओर से संविदा भंग से निकला मूलतः सिविल विवाद है तो इससे छल करने का अपराध गठित नही*

होगा। दण्ड संहिता की धारा 405 में अन्तर्विष्ट इसके परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आपराधिक न्यासभंग के अपराध के संबंध में विधिक स्थिति समान है। (देखिए अजय मित्रा बनाम म.प्र.राज्य [(2003) 3 एससीसी 11: 2003 एससीसी (क्रि) 703])"

7. विधि का यह आगे सुस्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक न्यासभंग के लिए, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नही है कि याचिकाकर्ता द्वारा पैसा रखा गया है। यही भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता ने बेईमानीपूर्वक कुछ अंश तक इसका व्ययन किया था या बेईमानीपूर्वक इसे रखा था, जैसा ***(2014) 10 एससीसी 663 में संप्रकाशित विनोद कुमार तथा अन्य बनाम बिहार राज्य तथा एक अन्य*** के मामले में मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसका पैरा 15,17 एवं 18 निम्नवत पठित है:

"15. धारा 405 भा.द.सं. आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। धारा 405 भा.द.सं. को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह प्रदर्शित होता है कि आपराधिक न्यास भंग में निम्न संघटक शामिल है:

(क) एक व्यक्ति को सम्पत्ति न्यस्त किया गया या सम्पत्ति पर आधिपत्य न्यस्त किया गया होना चाहिए:

(ख) उस व्यक्ति को इस सम्पत्ति का बेईमानीपूर्वक दुर्विवियोग करना चाहिए या उस सम्पत्ति को अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तित करना चाहिए या बेईमानीपूर्वक उस सम्पत्ति का उपयोग करना चाहिए या व्ययन करना चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए जानबूझकर सहन करता है।

(ग) यह कि इस प्रकार का दुर्विनियोग,संपरिर्वतन, उपयोग या व्ययन ढंग को विहित करने वाले विधि के किसी निदेश के उल्लंघन में होना चाहिए जिसमें इस प्रकार के न्यास का निर्वहन किया जाना चाहिए जिसमें इस प्रकार के न्यास का निर्वहन किया जाना चाहिए या किसी विधिक संविदा का जिसे व्यक्ति ने इस प्रकार के न्यास के निर्वहन का जिक्र करते हुए किया है।

17. धारा 420 भा.द.सं. छल करने से संबंधित है। धारा 420 भा.द.सं. का आवश्यक संघटक है:

(i) छल करना

(ii) सम्पत्ति का परिदान करने या किसी बहुमूल्य प्रतिभूति या किसी चीज को बनाने, परिवर्तित करने या नष्ट करने के लिए बेईमानीपूर्ण उत्प्रेरणा जो मोहरबंद है या हस्ताक्षरित है या बहुमूल्य प्रतिभूति में परिवर्तित किये जाने योग्य है तथा

(iii) उत्प्रेरणा करने के समय पर अभियुक्त का दुराशय

18. वर्तमान मामले में, परिवाद में अभिकथनो पर विचार करते हुए प्रत्यक्षतः हम पाते है कि धारा 405 भा.द.सं. के संघटको को आकृष्ट करने वाला कोई अभिकथन नही बनता है। इसी प्रकार, स्वयं को सदोष अभिलाभ प्राप्त करने के लिए पैसा रखने में अपीलार्थीगण के छल या बेईमानीपूर्ण आशय या परिवादी को सदोष हानि कारित करने के संबंध में कोई अभिकथन नही है। इस निरा अभिकथनो के सिवाय कि अपीलार्थीगण ने दूसरे प्रत्यर्थी को भूगतान नही किया था तथा यह कि अपीलार्थीगण ने धनराशि का

उपयोग स्वयं या किसी अन्य कार्य के लिए किया था, सम्पत्ति का दुर्विनियोग करनेमें बेईमानीपूर्वक आशय के संबंध में लेखमात्र भी अभिकथन नही है। आपराधिक न्यास भंग का मामला बनाने के लिए, यह प्रदर्शित करना पर्याप्त नही है कि अपीलार्थीगण द्वारा पैसा रखा गया है। यह भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थीगण ने कुछ अंश तक इसका व्ययन बेईमानीपूर्ण तरीके से किया था या बेईमानीपूर्ण तरीके से इसे रखा था। मात्र तथ्य कि अपीलार्थीगण ने परिवादी को पैसा अदा नही किया था आपराधिक न्यास भंग के तुल्य नही है।"

8. पैसा लेने या किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग करने के बारे में याचिकाकर्ता के विरूद्ध कोई अभिकथन नही है तथा निर्विवादित रूप से विक्रय विलेख पलटू महतो, मुख्यतः सुशीला देवी, बिन्देश्वर महतो तथा नीलकमल महतो द्वारा निष्पादित किया गया था तथा परिवादी का इनके विरूद्ध कोई शिकायत नही है तथा इनके विरूद्ध मामला संस्थित नही किया है तथा विक्रय विलेख के निष्पादन के परिणामस्वरूप, सम्पत्ति का नामांतरण किया गया है तथा विरोधी पक्षकार सं. 2 के पक्ष में किराया रशीद भी जारी किया गया है। इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अधीन कोई मामला नही बनता है।

9. आगे याचिकाकर्ता के विरूद्ध किसी दस्तावेज की कूटरचना करने के बारे में कोई अभिकथन नही है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 में निर्दिष्ट बहुमूल्य प्रतिभूति या किसी अन्य दस्तावेज से तात्पर्यित है तथा इस प्रकार, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467 के अधीन दण्डनीय अपराध नही बनता है।

10. उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत, कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना विधि के कार्यवाही के दुरूपयोग के तुल्य होगा।

11. पूर्वोक्त तथ्यो, कारणो तथा विश्लेषण के दृष्टिगत, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, बोकारो के न्यायालय में लंबित संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 15-03-2018 सहित परिवाद मामला सं. 106 वर्ष 2017 के संबंध में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही को अभिखंडित किया जाता है।

12. तद्नुसार, इस याचिका को अनुज्ञात तथा निपटाया जाता है।

13. लंबित अंतरिम आवेदन यदि कोई है को निपटाया जाता है।

14. अंतरिम आदेश, यदि इस न्यायालय द्वारा कोई अनुदत्त किया गया है, को निष्प्रभावी किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)